DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
OFFICE OF ACCOUNTS OFFICER (MEDICAL)-I
C-2/102-A, 1st Floor, C-Block, VIKAS SADAN
I.N.A., NEW DELHI – 110023

F&E CIRCULAR NO. 22/2018

Sub: DDA Medical Scheme – reimbursement of advanced IPD treatments where CGHS codes are not available.

VC, DDA has been pleased to approve following additional benefits as a further welfare measure for DDA Medical Beneficiaries.

"1. ***Treatment taken from Empanelled Hospital***

(i) For Cancer disease, reimbursement for such treatment/ procedure may be allowed for which no rates have been prescribed in CGHS or there is no AIIMS rates available. For such reimbursement 10% of expenditure on non codified item will be borne by the beneficiary subject to verification of non availability of CGHS code/AIIMS rates, by Dy.CAO(Medical) & thereafter by TPA. Competent Authority to approve such reimbursement will be CAO, DDA.

(ii) For other treatments (other than Cancer), reimbursement for such treatment/procedure may be allowed for which no rates have been prescribed in CGHS or there is no AIIMS rates available. For such reimbursement 20% of expenditure on non codified item will be borne by the beneficiary subject to verification of non availability of CGHS code/AIIMS rates, by Dy.CAO(Medical) & thereafter by TPA. Competent Authority to approve such reimbursement will be CAO, DDA.

2. ***For treatment taken in Rajiv Gandhi Cancer Institute***

Beneficiaries may take Cancer treatment in Rajiv Gandhi Cancer Institute after seeking prior permission. For such treatment reimbursement is generally restricted to CGHS rates. However as a welfare measure, 50% expenditure of the treatment over and above the CGHS rates will also be reimbursed and balance 50% will be borne by the beneficiaries. Competent Authority to approve such reimbursement will be CAO, DDA."

3/12

Dy.CAO(Medical)

No.: F1(Misc)2018/MC/293

Date : 03.12.2018

Copy to:

1. OSD to VC, DDA.
2. OSD to FM, DDA.
3. PS to EM, DDA.
4. PS to PC (P).
5. PS to Commr.(P).
6. All Zonal Dy.CAO.

3/12/18

A.O.(Medical)-I

Scanned by CamScanner

दिल्ली विकास प्राधिकरण

लेखाधिकारी कार्यालय (चिकित्सा)-I

सी-2/102-ए, प्रथम तल, सी-ब्लॉक, विकास सदन

आई.एन.ए.,नई दिल्ली-110023

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या-22/2018

विषय: दिल्ली विकास प्राधिकरण चिकित्सा योजना - जहाँ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.सी.) कोडस उपलब्ध नहीं है वहाँ अग्रिम आई.पी.डी. उपचारों की प्रतिपूर्ति संबंधी।

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा निम्नलिखित दि.वि.प्रा. चिकित्सा लाभार्थियों हेतु अतिरिक्त लाभों के कल्याणकारी उपाय का सहर्ष अनुमोदन किया गया है।

"1. **पैनलबद्ध अस्पतालों से प्राप्त उपचार**

(i) कैंसर रोग में ऐसे उपचार/प्रक्रियाओं की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है जिनके लिए सी.जी.एच.एस. द्वारा दरें निर्धारित नहीं की गई हैं अथवा एम्स दरें उपलब्ध नहीं है। ऐसी प्रतिपूर्ति हेतु गैर कोडीकृत मदों का 10 प्रतिशत व्यय लाभार्थी द्वारा स्वयं उठाया जाएगा जो उप लेखाधिकारी (चिकित्सा) तथा उसके बाद टी.पी.ए. द्वारा सी.जी.एच.एस. कोड/एम्स दरों की अनुपलब्धता के सत्यापन के अधीन है। मुख्य लेखाधिकारी, दि.वि.पा. ऐसी प्रतिपूर्ति के अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(ii) अन्य उपचार हेतु (कैंसर के अलावा) ऐसे उपचार/प्रकियाओं की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए सी.जी.एच.एस. द्वारा दरें निर्धारित नहीं की गई हैं अथवा एम्स की दरें उपलबध नहीं हैं। ऐसी प्रतिपूर्तियों के लिए गैर-कोडीकृत मदों का 20 प्रतिशत व्यय लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा जो उप लेखाधिकारी (चिकित्सा) तथा उसके बाद टी.पी.ए. द्वारा सी.जी.एच.एस. कोड/एम्स दरों की अनुपलब्धता के सत्यापन के अधीन है। मुख्य लेखाधिकारी, दि.वि.प्रा. ऐसी प्रतिपूर्ति का अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

2. **राजीव गाँधी कैंसर संस्थान में उपचार प्राप्त**

लाभार्थी पूर्व अनुमोदन लेकर राजीव गाँधी कैंसर संस्थान से कैंसर उपचार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे उपचारों हेतु प्रतिपूर्ति सामान्यत: सी.जी.एच.एस. दरों तक सीमित रहती है। फिर भी, कल्याणकारी उपाय के तौर पर सी.जी.एच.एस. दरों से अधिक हुए उपचार के 50

Scanned by CamScanner